**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं. 79**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

**आन्‍ध्र प्रदेश में पृथक रेलवे जोन**

**\*79. श्री वि. विजयसाई रेड्डी:**

**क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्‍या यह सच है कि आन्‍ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की अनुसूची 13 की मद संख्‍या 8 के अनुसार, रेलवे को आन्‍ध्र प्रदेश में पृथक रेलवे जोन की स्‍थापना करनी है;

(ख) क्‍या यह भी सच है कि उपर्युक्‍त का अनुपालन करते हुए मंत्रालय ने एक समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो उक्‍त समिति की क्‍या-क्‍या सिफारिशें हैं और उन पर मंत्रालय द्वारा क्‍या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्‍या मंत्रालय आन्‍ध्र प्रदेश में पृथक रेलवे जोन की स्‍थापना में देरी कर रहा है; और

(ङ) मंत्रालय को आन्‍ध्र प्रदेश में रेलवे जोन स्‍थापित करने में और कितना समय लगेगा?

**उत्‍तर**

**रेल और कोयला मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*

आंध्र प्रदेश में पृथक रेलवे ज़ोन के संबंध में दिनांक 22.12.2017 को राज्‍य सभा में श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं.79 के भाग (क) से (ड.) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क) से (ड.): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची 13 (अवसंरचना) की मद 8 के अनुसार, रेल मंत्रालय को आंध्र प्रदेश से अलग हुए राज्‍य में नया रेलवे ज़ोन बनाने की व्‍यवहार्यता की जांच करने की आवश्‍यकता है। नया रेलवे ज़ोन बनाने की व्‍यवहार्यता की जांच करने में अन्‍य बातों के साथ-साथ वरिष्‍ठ रेल अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है। समिति को अंतिम निर्णय लेने से पहले संसद सदस्‍यों, राज्‍य सरकारों आदि सहित विभिन्‍न स्‍टेकधारकों से विचार-विमर्श करने के लिए कहा गया है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर दी है और इसकी जांच की जा रही है।

\*\*\*\*